न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 29/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/106

उनवान

1. किशन लाल पिता चुन्नी लाल जी जाट जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. मांगीलाल पिता चुन्नी लाल जी जाट जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. गंगा पिता चुन्नी लाल जी जाट जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. पुष्पा पिता चुन्नी लाल जी जाट जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. राधा बाई पत्नी चुन्नी लाल जी जाट जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) ....प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेश लाल पिता किशन लाल जाट, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. रोशन लाल पिता किशन लाल जाट, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. ऊंकार पिता देवजी भील जाति भील, आयु वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. प्यारीबाई पुत्री रामा जी भील, आयु वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. मेघा पिता देवजी भील जाति भील, आयु वयस्क, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. पटवारी पटवार हल्का चंगेडी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

..............विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री हीरालाल सालवी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–17.06.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि गांव चंगेडी, पटवार हल्का चंगेडी तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2507, 2559, 3357/2554, 3970/3357 किता 4 कुल रकबा 1.1817 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी में हम प्रार्थीगण व खातेदार प्रेम पुत्री चुन्नी लाल के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है, खातेदार प्रेम की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 01 से 04 है। प्रार्थीगण [illegible] आराजीयात के सटमा पूर्व दिशा में विपक्षी सख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 2560 [illegible] पश्चिम दिशा में विपक्षी संख्या 03 से 05 की आराजी संख्या 2506 [illegible] है। [illegible] विपक्षी की आराजीयात आपस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

में सटमा होने तथा सीमा के स्थाई निशान नहीं होने से सीमा विवाद होता रहता है। विपक्षी, प्रार्थीगण की आराजीयात में नाजायज हक अधिकार जमाते है जिसका विपक्षी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त जमीन पर काबिज है और परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 की भूमि के सीमा के निशान नहीं होने से पत्थरगडी कराना आवश्यक है ताकि हमारे मध्य भविष्य में होने वाले विवादो को रोका जा सकें।

2. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25–12–2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 5 को पत्थर गड़ी कराने के लिये कहां तो विपक्षी ने मना कर दिया जिससे उक्त प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न हो निरंतर जारी है।
3. अंत में निवेदन किया की हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशा की सीमा की पत्थरगडी कराई जाकर सीमांकन करवाया जावें तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 को पांबद किया जावें कि वो हम प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 6, 7 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।
5. विद्‌वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 485 पर दर्ज आराजी नम्बर 2507, 2559, 3357/2554, 3970/3357 किता 4 कुल रकबा 1.1817 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं सहखातेदार प्रेम पुत्री चुन्नीलाल के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। खातेदार प्रेम पुत्री चुन्नीलाल का निधन होना बताया है जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 1 से 4 है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगडी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजीयात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि विपक्षीगण को पांबद किया जावें कि वो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puniadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

हम प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। विपक्षीगण को पाबंद कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

6. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा चंगेड़ी पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 485 पर दर्ज आराजी नम्बर 2507, 2559, 3357/2554, 3970/3357 किता 4 कुल रकबा 1.1817 हैक्टेयर भूमि की पूर्व व पश्चिम दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण एवं उक्त वर्णित भूमि के पूर्व एवं पश्चिम दिशा के पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण / एवं उक्त वर्णित भूमि के पूर्व एवं पश्चिम दिशा के पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
7. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
8. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested